2012/00035

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२५/१२/१७	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्षकार उपस्थित।	

प्रतिवादीगण संख्या 05,06,07,25,26 के सम्मन् दिनांक 13.04.2012 से आज तक प्रस्तुत करने हेतु निरन्तर अवसर प्रदान करने के बावजुद सम्मन् मुद्दायलाह पेश नही किये है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया लगता है की वादीगण वाद में किसी प्रकार की रुची नही लेते है। सीपीसी के आदेश 09 नियम 05 के माफिक जहा वादी समन तामिल के बिना लौटने के पश्चात सात दिवस तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहा वादी का वाद खारिज योग्य होता है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में आदेशिका की दिनांक 13.04.2012 से आज दिनांक तक पालना नही कि है। तथा वादीगण की तरफ से प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन् मुद्दायलाह पेश नही किये वाद मात्र प्रतिवादीगण के समन पेश करने में 2012 से विचाराधीन है । वाद को आगे चलाया जाना न्याय की दृष्टि से हमारी राय में उचित नही है अतः वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत् खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। खारिज का डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो , दाखिल दफ्तर हो।

यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर
फलोदी

सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी

बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

वादीगण

1. हासमदीन पुत्र आलमदीन
2. बाजे खां पुत्र आलमदीन
3. कमरदीन पुत्र आलमदीन
4. मोहम्मद सदीक पुत्र आलमदीन

जाति मुसलमान निवासी निवासीगण– बापीणी, तहसील फलौदी

प्रतिवादी

1. तहसीलदार फलौदी
2. बरकत पुत्र हनीफ तालब खां
3. अमीयत पत्नि हनीफ तालब खां
4. अलादीन पुत्र हनीफ तालब खां
5. अलादीन पुत्र जमाल खां
6. हुसैन खां पुत्र रज्जाक खां
7. सुभान खां पुत्र रज्जाक खां
8. जहुर खां पुत्र ईसु खां पुत्र रज्जाक खां
9. सफी मोहम्मद पुत्र ईसु खां पुत्र रज्जाक खां

सभी जाति मुसलमान निवासी मोहरा

10. आलम खां पुत्र लाल खां
11. मेहरे खां पुत्र लाल खां
12. खैरे खां पुत्र उस्मान खां
13. अयुब पुत्र मेहरदीन पुत्र फकरे खां
14. नेजे खां पुत्र फकरे खां
15. मेहंदे खां पुत्र समरे खां
16. नसीर खां पुत्र समरे खां
17. इब्राहीम खां पुत्र राजु खां
18. फतेह मोहम्मद पुत्र अली खां
19. अखे मोहम्मद पुत्र अली खां
20. गफुर खां पुत्र जमाल खां
21. फतेह खां पुत्र जमाल खां
22. हसने खां पुत्र जमाल खां
23. रहूफ खां पुत्र जमाल खां
24. उमर पुत्र छोटु खां
25. अली पुत्र छोटु खां
26. नजरी पुत्र छोटु खां
27. अयुब पुत्र सुभान खां
28. कमे खां पुत्र सुभान खां
29. आसमान पुत्र सुभान खां
30. इकबाल पुत्र सिकन्दर पुत्र सुभान
31. हनीफ पुत्र गांधी खां
32. रसूल पुत्र नूर खां
33. आमदीन पुत्र नूर खां

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

सभी जाति मुसलमान निवासी
मोहरा तहसील फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 15,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 66/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री सिकन्द घोषी अधिवक्ता मिनजानिब व श्री पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत् खारिज किया जाता है।

मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 12 सन् 15 को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.09 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: